

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

रीडर/2024/8456

प्रार्थी

बनाम

दिनांक - 19/09/2025

अप्रार्थीगण

गंगाराम पुत्र अजाराम
जाति कुम्हार निवासी
छीतर का पार तहसील
बाटाडू जिला बाड़मेर।

1 राणाराम 2 सवाईराम पिसरान मंगलाराम 3 भीखी पत्नि
मंगलाराम 4 तगाराम 5 चम्पाराम 6 मोहन 7 रामाराम 8 खरथाराम
9 बाबू 10 चुतराराम पिसरान ठाकराराम 11 गिरधारीराम 12
आसूराम पिसरान प्रहलादराम 13 टाऊ पत्नि गिरधारीराम 14
रामाराम पुत्र रकबारमा 15 गोमी पत्नि मगाराम 16 कलारम 17
हरखाराम पिसरान खुमाराम 18 रावताराम 19 टीकमाराम 20
रेखाराम 21 चौथाराम पिसरान जुगताराम 22 रेंवताराम 23
गोमाराम 24 भोमाराम पिसरान ताजाराम 25 रावताराम पुत्र
अर्जुनराम 26 गुमनी पत्नि अर्जुनराम 27 रतनाराम 28 विशनाराम
29 सरूपाराम पुत्र 30 भैराराम पिसरान पूनमाराम जातियान कुम्हार
31 वैनाराम पुत्र अचलाराम 32 गिरधारीराम पुत्र भोजाराम जाति
जाट निवासीयानल छीतर का पार तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 176/2025

दिनांक- 15/09/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा छीतर का पार पटवार क्षेत्र छीतर का पार तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 645/244 रकबा 1.4400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 499/207 रकबा 1.2540 हैक्टेयर, खसरा
संख्या 514/227 रकबा 0.9223 हैक्टेयर व खसरा संख्या 810/646 रकबा 1.3665 हैक्टेयर भूमि के चारो
तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीशनर नियुक्त किया
जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व
विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की
जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो
प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2024/8456-8459
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 19/09/2025

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी छीतर का पार तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी गंगाराम पुत्र अजाराम जाति कुम्हार निवासी छीतर का पार तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण राणाराम पुत्र मंगलाराम वगैरह कुम्हार निवासीयानल छीतर का पार तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर